Dr. Vandana Suman
Associate professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
B.A Part – II (Hons)
Paper – III
नीतिशास्त्र (Ethics)

दंड के सिद्धान्त —
"सुधारवादी सिद्धान्त"
(Reformative of educative theory) —

सुधारवादी सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को प्रतिकार की भावना से सजा नहीं दी जाती बल्कि उसे सुधारने के लिए दी जाती है। यहाँ दंड का लक्ष्य समाज का सुधार नहीं बल्कि उस अपराधी को सुधारना है जिसने कोई अनुचित कार्य किया है। "अपराधी को इसी के हित में दंड दिया जाता है, दूसरों के हित में नहीं" प्रत्येक अपराध के कुछ कारण अवश्य होते हैं। यदि इन कारणों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति पुनः अपराध नहीं कर सकता।

अपराधों के कारणों को लेकर तीन प्रकार के मत हो जाते हैं —

(क) अपराध – मानवविज्ञान (Criminal Anthropology)

(ख) अपराध-समाज विज्ञान (Social Criminology)

(ग) मनो विश्लेषण – विज्ञान (Psycho-analysis)

इन तीनों पर अलग – अलग दृष्टिपात करने से इसमें अनेक बातें पायी जाती हैं

(क) अपराध –

GRB BOOKS Notes
सुगम पास-बुक AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

GRB BOOKS

मानव विज्ञान (Criminal Anthropology) (अपराध - विज्ञान सुधार वादी) सिद्धान्त का समर्थन करता है। "अपराध-विज्ञान की स्थापना इस सिद्धान्त पर हुई है कि अपराध एक रोग है मानसोन्माद का एक वंशक्रमागत अथवा अर्जित पतन की अवस्था है। इससे यह अनुमान निकलता है कि अपराधी को उपयुक्त चिकित्सा वह है जो इसे दंडित करने की अपेक्षा रोगमुक्त करने का प्रयत्न करती है। कारागारों के स्थान पर अस्पताल पागलखाने और सुधारशालाएँ होनी चाहिए।" अपराध एक प्रकार का रोग है। यह शारीरिक विलक्षणताओं के कारण उत्पन्न होता है इसलिए अपराधी को जेलों में नहीं बल्कि अस्पतालों एवं सुधारशालाओं में रखना चाहिए, ताकि इसमें सुधार हो सके।

प्रत्येक अपराध को शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न नहीं कहा जा सकता। अधिकतर व्यक्ति उल्लंघन जान-बूझकर नैतिक नियमों का करते हैं, न कि शारीरिक दोष के कारण। ऐसा अपराध दंडनीय है। मानसोन्माद अथवा शारीरिक दोष की स्थिति में व्यक्ति चित्त विभ्रान्त हो जाता है और इसकी क्रिया में संकल्प-स्वातंत्र्य का अभाव हो जाता है। वह अपने ऊपर नियंत्रण भी खो देता है। अपराध अधिकांश

सुगम पास-बुक AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

GRB BOOKS Notes

जान-बूझकर नैतिक नियमों के भंग के कारण होते हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों को जेल की हवा खिलाना आवश्यक है। अपराध को रुग्णावस्था मानना नीति के आधार पर विच्छेद कर देना है; इससे पुण्य-पाप, पुरस्कार, दंड निराधार हो जाते हैं।" अतः प्रत्येक अपराध को उन्माद द्वारा उत्पन्न नहीं कहा जा सकता। इस मत में एक दोष यह भी है कि कोई अपराधी जेल की चहारदीवारी के अन्दर अधिक समय तक रहना पसंद करेगा किंतु पागलखाने में रखा जाना उसे शायद पसंद नहीं आएगा। इसप्रकार पागलखाने या अन्य सुधारशालाएँ अपराधी में सुधार लाने में असमर्थ हैं।

(ख) अपराध-समाजविज्ञान (Social Criminology) - इसके अनुसार अपराध प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक विषमताएँ, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था आदि अपराधों को उत्पन्न करती हैं। सामाजिक गठन ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति में आर्थिक विषमता है। इस विषमता के कारण भी व्यक्ति अपराधी बनने को बाध्य होता है। अधिकतर चोरी-डाके निर्धनता के कारण ही होते हैं। अपराध

सुगम पास-बुक
AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

Notes

GRB BOOKS

रोकने के लिए यह आवश्यक है कि समाजस्थित असमानता, भ्रष्टाचार कुव्यवस्था इत्यादि का अंत हो।

आलोचना — यह सही है कि अपराधों को उत्पन्न करने में सामाजिक कुव्यवस्था का प्रमुख हाथ रहता है, किंतु सभी अपराधों के विषय में यह बात लागू नहीं हो सकती। जान बूझ-कर किए गए अपराध सामाजिक विषमताओं के कारण उत्पन्न नहीं माने जा सकते। सभी अपराधों के लिए सामाजिक गठन को दोषी ठहराना अपराध को भुला देना है।

दंड देने से अपराधी में सुधार होना अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी दंड भोगते-भोगते अपराधी की अपराधवृत्तियाँ और अधिक सबल एवं पक्की हो जाती हैं। ऐसा पाया जाता है कि कभी-कभी कोई नया अथवा कच्चा अपराधी भी सजा भुगतने के साथ और अपराधी बन जाता है। कभी-कभी सजा से अधिक सहृदयतापूर्ण व्यवहार अपराधी को सुधारने में असफल होता है। अपराधी को कभी-कभी क्षमा करने पर वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, पश्चाताप द्वारा वह सुधार हो जाता है।

(ग) मनोविश्लेषण-विज्ञान

सुगम्स पास-बुक
AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

GRB BOOKS Notes

(Psycho-analysis) डा० जे० एन० सिन्हा के शब्दों में, "फ्रायड और उसके अनुयायियों का मत है कि असामाजिक मानवीय कर्म अथवा अपराध दबी हुई मनोग्रंथियों (repressed complexes) या इच्छाओं - असफल यौन प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न काम और विद्वेष की प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर किए जाते हैं। अतः इस प्रकार के अपराधों की चिकित्सा केवल दण्ड से नहीं, बल्कि औषधि और शिक्षा से होनी चाहिए।" ऐसी हालत में रोग निवारण का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अचेतन मस्तिष्क में दबी हुई इच्छाओं को चेतन स्तर पर लाया जाए और रोगी को उसके रोग का कारण बता दिया जाए। इसके बाद रोगी अपनी बीमारी समझ जाता है और फलस्वरूप उसका रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार अपराधी के सुधारने का यह एक विलक्षण तरीका है।

आलोचना — सभी प्रकार के अपराध दबी हुई ग्रंथियों या अतृप्त इच्छाओं द्वारा ही उत्पन्न नहीं होते। डा० सिन्हा के शब्दों में
(1) कुछ अपराध उन्माद के कारण उत्पन्न होते हैं।
(2) कुछ शारीरिक दोषों के कारण
(3) कुछ अपराधी आवेश या ग्रंथि के कारण
(4) कुछ भ्रांत नैतिक

सुगम पास-बुक AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

Notes

GRB BOOKS

निर्णय के कारण, और
(5) कुछ नैतिक नियमों के जान-बूझकर उल्लंघन करने के कारण।" इनमें सभी अपराध मनोविश्लेषण पद्धति द्वारा दूर नहीं हो सकते। प्रथम प्रकार के अपराधों से मुक्ति के लिए पागलखानों, सुधारशालाओं एवं औषधियों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे प्रकार के अपराध आधुनिकतम औषधियों द्वारा दूर हो सकते हैं। तीसरे प्रकार के अपराधों से मुक्ति प्रायः मनोविश्लेषण विधि द्वारा हो सकती है। चौथे प्रकार के अपराध अपराधी को उसकी गलती का ज्ञान करा देने से दूर होते हैं। पाँचवें प्रकार के अपराध सच्चे अपराध हैं, इसलिए ये दण्डनीय हैं।

नैतिक दृष्टिकोण से मृत्युदंड- (Capital Punishment from Ethical point of View)

अब प्रश्न है- क्या मृत्युदंड (Capital punishment) नैतिक दृष्टिकोण से उचित है? सुधारवादी सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु की सजा उचित नहीं कही जा सकती। अपराधी को अपने सुधार के लिए अवसर अवश्य मिलना चाहिए। किसी अपराधी को मृत्युदंड देने का अर्थ है कि संभावना सदैव बनी रहती है। जब किसी अपराधी को मृत्यु की सजा होती है, तब यह

सुगम पास-बुक
AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

GRB BOOKS

Notes

सजा भुगतने के बाद यदि उसे निर्दोष पाया जाए, तो इस हालत में उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। प्रतिकारवादी सिद्धान्त (retributive theory) का कठोरवादी रूप मृत्यु-दंड को उचित मानता है। निष्पक्ष रूप से देखने पर मृत्यु की सजा (Capital punishment) अवांछित है। कभी-कभी यही सजा उचित एवं आवश्यक भी हो जाती है; किंतु इसे अपवाद स्वरूप ही लेना चाहिए।

सुधारवादी सिद्धान्त (reformative theory) अधिक आकर्षक लगता है; क्योंकि इसमें अपराधी के सुधार की बात कही जाती है, किंतु निष्पक्ष रूप से विचार करने पर प्रतिकारवादी सिद्धान्त का मृदु रूप (mollified view of the retributive theory) ही सबसे अधिक संतोषप्रद हो जाता है। अपराधी को उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित दंड देने से उसका सुधार संभव है। अभ्यु व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसे शुभ कर्मों के लिए पुरस्कार और अशुभ कर्मों के लिए उचित दंड मिलेगा। तब वह निश्चित रूप से अपराध करने से अपने को बचाएगा। अतः दंड एवं पुरस्कार के संतुलित वितरण से ही अपराध का निवारण संभव है।

सुगम पास-बुक
AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS